2024:CGHC:48546

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका सेवा क्रमांक 5648/2021

- राजेश कुमार शर्मा, पिता श्री ए. पी. शर्मा, आयु लगभग 54 वर्ष, निवासी– प्लॉट नंबर 2, हनुमान नगर, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

...याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, द्वारा– महाप्रबंधक, प्रधान कार्यालय, महादेव घाट रोड, सुंदर नगर, जिला: रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. जांच अधिकारी, वर्तमान में शाखा प्रबंधक के पद पर पदस्थ, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, शाखा– नांदघाट, जिला– बेमेतरा (छत्तीसगढ़)

...उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(वाद शीर्षक वाद सूचना प्रणाली से लिया गया है)

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री सिद्धार्थ राठौड़, अधिवक्ता

उत्तरवादीगण की ओर से : श्री पी.आर. पाटणकर, अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री राकेश मोहन पाण्डेय

बोर्ड पर आदेश

10.12.2024

1. इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अनुतोष की मांग की है: –

> "10.1 यह माननीय न्यायालय, माननीय न्यायालय के परिशीलन हेतु याचिकाकर्ता के प्रकरण से संबंधित संपूर्ण अभिलेख मंगवाने की कृपा करे।
>
> 10.2 यह माननीय न्यायालय, आक्षेपित आदेशों को अवैध, मनमाना और अधिकारिता के बिना होने के कारण अभिखण्डित करने की कृपा करे, और याचिकाकर्ता को उसके विरुद्ध लंबित विभागीय जांच कार्यवाही में विधिक व्यवसायी तथा किसी भी सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करे।
>
> 10.3 कार्यवाही का व्यय।

10.4 कोई अन्य अनुतोष जो यह माननीय न्यायालय उचित समझे प्रदान करने की कृपा करे।"

2. याचिकाकर्ता ने महाप्रबंधक द्वारा जारी आदेश दिनांक 30.12.2020 और पत्र दिनांक 01.03.2021 को चुनौती दी है, जिसमें याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था कि वह बैंक में कार्यरत किसी भी कर्मचारी को अपने बचाव प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर सकता है, और याचिकाकर्ता द्वारा विधिक व्यवसायी को नियुक्त करने के आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति वर्ष 1991 में बैंक में हुई थी और वर्ष 2013 में उन्हें शाखा प्रबंधक के पद पर पदोन्नत किया गया था। उन्होंने आगे तर्क किया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभागीय जांच प्रारंभ की गई थी और दिनाँक 07.01.2020 को आरोप–पत्र जारी किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा दिनाँक 30.12.2020 को एक विधिक व्यवसायी के माध्यम से अपना प्रतिनिधित्व करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने यह भी तर्क किया कि उत्तरवादी क्रमांक 2 ने दिनांक 30.12.2020 के आदेश के माध्यम से उक्त आवेदन को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक अधिकारी एवं कर्मचारी सेवा विनियम, 2013 (एतस्मिन पश्चात जिसे "विनियम, 2013" कहा जाएगा) के विनियम 44 का उल्लेख किया, जो कहता है कि सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के बाद एक अपचारी कर्मचारी द्वारा विधिक व्यवसायी नियुक्त किया जा सकता है। यह आगे तर्क किया गया कि सक्षम प्राधिकारी ने बिना विवेक का प्रयोग किए याचिकाकर्ता के आवेदन को अस्वीकार कर दिया। यह भी तर्क दिया गया कि याचिका स्वीकार की जाए और दिनांक 30.12.2020, 01.03.2021 और 30.06.2021 के आदेशों को अभिखण्डित किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. दूसरी ओर, उत्तरवादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री पी.आर. पाटणकर ने इसका विरोध किया। उन्होंने तर्क किया कि किसी अपचारी कर्मचारी को विभागीय जांच में सहायता के लिए विधिक व्यवसायी नियुक्त करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने आगे तर्क किया कि ऐसी अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी जा सकती है,किंतु वर्तमान प्रकरण में, याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था। यह भी तर्क किया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने राज्य ग्रामीण बैंक अधिकारी एवं कर्मचारी सेवा विनियम, 2010 के समान विवाद्यक पर, **राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक विरुद्ध रमेश चंद्र मीणा एआईआर आनलाइन 2022 एससी 5** में प्रकाशित प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि किसी विशेष प्रकरण में, विभागीय जांच में सहायता के लिए विधिक व्यवसायी को नियुक्त करने के अपचारी कर्मचारी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो यह विभागीय जांच के अंतिम परिणाम को चुनौती देने का आधार हो सकता है। उन्होंने व्यक्त किया कि याचिकाकर्ता को बैंक में कार्यरत कर्मचारी(यों) के माध्यम से अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए सूचित किया गया था। उन्होंने आगे तर्क किया कि वर्तमान याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

5. मैंने पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

6. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा विनियम, 2013 का विनियम 44 इस प्रकार है:–

> **"44.** विधिक व्यवसायी को विनियोजित करने का निर्बंधन– इन विनियमों के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिए कोई अधिकारी या कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी विधिक व्यवसायी को नियोजित नहीं करेगा।"

7. वर्तमान प्रकरण में, याचिकाकर्ता जो शाखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत है, उसे दिनाँक 07.01.2020 को आरोप–पत्र के साथ कारण बताओ नोटिस तामील किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा विभागीय जांच में एक विधिक व्यवसायी को नियुक्त करने के लिए दिनाँक 30.12.2020 को एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसे उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा दिनाँक 30.12.2020 को ही अस्वीकार कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने पुनः आवेदन दिया, जिसे उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा दिनांक 01.03.2021 और 30.06.2021 को अस्वीकार कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **रमेश चंद्र मीणा (पूर्वोक्त)** के प्रकरण में इसी तरह के विवाद्यक पर विचार करते हुए कण्डिका 8 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:–

> "8. बैंक के अनुसार, अपचारी अधिकारी को विभागीय कार्यवाही में केवल बैंक के सेवारत अधिकारी/कर्मचारी के माध्यम से ही प्रतिनिधित्व की अनुमति देने का औचित्य है। बैंक ने बैंक के पूर्व कर्मचारी को बचाव प्रतिनिधि के रूप में अनुमति न देने के अपने कदम को उचित ठहराया है। बैंक के अनुसार, पूर्व कर्मचारी स्वयं भी किसी अनुशासनिक जांच/आरोप–पत्र/सेवा से बर्खास्तगी का विषय रहे हो सकते हैं; पूर्व कर्मचारी सतर्कता या ऑडिट अनुभागों का हिस्सा हो सकते हैं, जिनके पास बहुत सी गोपनीय जानकारी होती है, और इसलिए, यदि उन्हें विभागीय कार्यवाही में बचाव प्रतिनिधि बनने की अनुमति दी जाती है, तो इसका परिणाम गंभीर अन्याय हो सकता है; कार्यवाही की गरिमा समाप्त हो जाती है और जब एक असंतुष्ट पूर्व कर्मचारी को बचाव प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने दिया जाता है, तो इससे व्यवस्था और शिष्टाचार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं; वे विभागीय जांच में देरी करने की रणनीति अपना सकते हैं और सीवीसी परिपत्र तथा बैंक द्वारा अपनाई गई सतर्कता नियमावली के अनुसार छह महीने के भीतर विभागीय जांच पूरी करने में बाधा डाल सकते हैं। उपरोक्त सभी कारणों से,

अपचारी अधिकारी को बैंक के पूर्व कर्मचारी के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने की अनुमति न देना किसी भी तरह से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है और न ही यह अपचारी अधिकारी के किसी अधिकार का उल्लंघन करता है। विधि के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एकमात्र आवश्यकता यह है कि अपचारी अधिकारी को अपना पक्ष रखने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाना चाहिए और उसकी पसंद के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व करने का कोई पूर्ण अधिकार उसके पक्ष में नहीं है। हालांकि, साथ ही, यदि आरोप गंभीर और जटिल प्रकृति के हैं, तो विनियम 2010 के विनियम 44 को ध्यान में रखते हुए अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व करने के अनुरोध पर विचार किया जा सकता है, और यदि किसी विशेष प्रकरण में इसे अस्वीकार कर दिया जाता है, तो वह विभागीय जांच के अंतिम परिणाम को चुनौती देने का आधार हो सकता है। किंतु, प्रत्येक प्रकरण में अधिकार के रूप में, चाहे आरोप गंभीर और जटिल हों या नहीं, कर्मचारी यह प्रार्थना नहीं कर सकता कि उसे उसकी पसंद के प्रतिनिधि के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जाए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि ऐसी अनुमति अनिवार्य रूप से प्रदान नहीं की जा सकती, और यदि ऐसा आवेदन अस्वीकार या खारिज कर दिया जाता है, तो अपचारी कर्मचारी विभागीय जांच के अंतिम परिणाम को चुनौती दे सकता है।

10. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि और विनियम, 2013 के विनियम 44 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय के अभिमत में, हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता है। तदनुसार, वर्तमान याचिका असफल होती है और एतद्द्वारा **खारिज** की जाती है। वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

11. पूर्व में दिया गया अंतरिम आदेश एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

सही/–
(**राकेश मोहन पाण्डेय**)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur